संख्या:84/2021/2333/1507201/12-2099/199/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 15 नवम्बर, 2021

विषय: फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम एवं पराली प्रबन्धन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि वर्तमान में प्रदेश में धान की कटाई तीव्र गति से चल रही है तथा इसके साथ ही कतिपय जनपदों में धान की पराली जलने की घटनायें भी हो रही हैं। दिनॉक 12 नवम्बर, 2021 तक सेटेलाइट इमेजरी से प्राप्त पराली एवं अन्य अवशेष जलने की घटनाओं के अवलोकन से विदित होता है कि प्रदेश में 2237 घटनायें प्रकाश में आयी हैं।

2. इस सम्बन्ध में निम्नलिखित जनपदों में गत वर्ष की तुलना में फसल अवशेष जलने की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	वर्ष 2020	वर्ष 2021
1	शाहजहॉपुर	101	374
2	मथुरा	152	233
3	पीलीभीत	11	195
4	रामपुर	130	168
5	खीरी	105	131
6	बाराबंकी	33	54
7	गौतमबुद्धनगर	11	17
8	हरदोई	77	80
9	कौशाम्बी	37	38
10	लखनऊ	28	29
11	महराजगंज	13	31

http://shasanadesh.up.gov.in

3. उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित जनपदों में फसल अवशेष जलने की घटनायें अपेक्षाकृत अधिक हैं:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	घटनाओं की संख्या
1	बहराइच	40
2	बरेली	47
3	सिद्धार्थनगर	56
4	झांसी	49
5	अलीगढ़	38
6	औरेया	22
7	बस्ती	25
8	इटावा	32
9	फतेहपुर	63
10	मैनपुरी	33
11	सहारनपुर	52
12	सीतापुर	36

4. प्रदूषण नियंत्रण हेतु पराली प्रबन्धन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। फलस्वरूप ऐसी घटनाओं को रोकना अत्यावश्यक है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में धान की कटाई के दृष्टिगत विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। अत: पूर्व में निर्गत निर्देशों के क्रम में इस सम्बन्ध में निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

(i) धान की कटाई कम्बाइन हार्वेस्टर से करते समय सुपर एस0एम0एस0 का प्रयोग किया जाए। सुपर एस0एम0एस0 न होने की स्थिति में फसल अवशेष प्रबन्धन के अन्य यंत्र जैसे मल्चर, स्ट्रा चापर, श्रेडर, सुपर सीडर इत्यादि यंत्रों का उपयोग कर खेत में ही पराली प्रबन्धन किया जाए।

(ii) कृषि विभाग द्वारा कृषकों को जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कृषकों एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर उन्हें पराली से हो रहे पर्यावरण के नुकसान से अवगत कराते हुए पराली न जलाने के प्रति जागरूक किया जाए। इस हेतु प्रचार-प्रसार के समस्त साधनों का उपयोग हो, जिसमें ग्राम स्तरीय गोष्ठी, सार्वजनिक मुनादी, पोस्टर/बैनर/वाल राइटिंग/होर्डिंग इत्यादि सम्मिलित हों।

(iii) कृषि विभाग द्वारा कृषकों के मध्य बायो डिकम्पोजर का वितरण नि:शुल्क कराया जा रहा है। अपने जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बायो डिकम्पोजर का वितरण कृषकों के

http://shasanadesh.up.gov.in

मध्य सुनिश्चित कराकर फसल अवशेष को खेत में ही गला कर प्रबन्धन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(iv) कृषकों को फसल अवशेष प्रबन्धन योजनान्तर्गत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं जिसके लिए विभागीय पोर्टल पर कृषकों द्वारा बुकिंग की गई है। अपने जनपद में की गई बुकिंग के आधार पर कृषकों द्वारा यंत्र क्रय कराया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा उनका अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित कराया जाए। कृषकों को इन यंत्रों के उपयोग हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यापक रूप से संचालित हो तथा इस हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र का भी सहयोग लिया जाए।

(v) पूर्व में निर्गत निर्देशानुसार निराश्रित गौआश्रय स्थलों पर पराली पहुंचाने में और तेजी लाई जाए।

(vi) मनरेगा के कन्वर्जेन्स से सामूहिक कम्पोस्ट गड्ढे खुदवा कर पराली प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाए।

(vii) जनपद में कृषि विभाग, गन्ना विभाग, राजस्व विभाग, उद्यान विभाग, सहकारिता विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ग्राम पंचायत एवं विकास खण्डवार दायित्व सौंपते हुए फसल अवशेष जलने की घटनाओं पर नियंत्रण रखना सुनिश्चित किया जाए।

5. एन0सी0आर0 के जनपदों में धान की कटाई के दौरान पराली जलने की घटनायें अपेक्षाकृत नियंत्रित रही हैं। इन जनपदों में अब गन्ने की कटाई प्रारम्भ हो गई है। इस दौरान और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, जिससे गन्ने की पत्तियॉ एवं अवशेष जलाने की घटनायें घटित न होने पायें।

6. आई0सी0ए0आर0 से प्राप्त फसल अवशेष जलने की बुलेटिन से प्राप्त प्रत्येक दिवस की घटनाओं का 12 घन्टे के अन्दर स्थलीय निरीक्षण कराया जाए तथा 24 घन्टे के अन्दर निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ प्रेषित की जाए। स्थलीय निरीक्षण के आधार पर प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाए।

7. अतएव पराली प्रबन्ध के सम्बन्ध में अपना व्यक्तिगत ध्यान देते हुए पराली जलने की घटनाओं को पूर्ण रूप से रोकथाम लगाते हुए उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रदेश के समस्त जनपदों में फसल अवशेष जलाने की कोई भी घटना घटित न हो तथा पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:84/2021/2333(1)//150720112-2099/199/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग/गन्ना विभाग/उद्यान विभाग/सहकारिता विभाग/पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in